[2018] 12 एससीआर 885

मकबूल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1143/2018) 07 सितंबर, 2018

[कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल, जेजे]

दंड संहिता, 1860 - धारा 326 ए और 326 बी - एसिड हमले में चोट लगने पर अपराध साधारण होने पर अपीलकर्ता की धारा 326 ए के तहत आरोपमुक्त करने की याचिका इस आधार पर कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोट साधारण थी, इसलिए उस पर धारा 326 ए के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इससे फर्क पड़ता है - चाहे वह साधारण हो या गंभीर, यदि एसिड के उपयोग के कारण चोट निर्दिष्ट आठ प्रकारों के तहत आती है, तो धारा 326 ए के तहत अपराध होता है - केवल इसलिए कि धारा 326 ए का शीर्षक एसिड के उपयोग से गंभीर चोट के बारे में बात करता है, धारा के तहत यह आवश्यकता नहीं है कि चोट हमेशा गंभीर होनी चाहिए - धारा 326 बी को तब आकर्षित किया जाएगा जब निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। एसिड हमले का प्रयास - अपील खारिज - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013।

दंड संहिता, 1860 - ss.326A और 326B - के बीच अंतर पर चर्चा की गई।

संविधियों का निर्वचन व्याख्या - प्रावधान का शीर्षक और इसकी सामग्री - के बीच संघर्ष - आयोजित: प्रावधान के शीर्षक को अनिवार्य रूप से प्रावधान की सामग्री को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है - प्रावधान में सादे अभिव्यक्तियों और संकेतित शीर्षक के बीच संघर्ष की स्थिति में, शीर्षक प्रावधान की सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकता है - शीर्षक प्रावधान के तहत निपटाए गए विषय की प्रकृति का केवल एक व्यापक और सामान्य संकेत है।

885 उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट (2018) 12 S.C.R.

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने अवधरित: 1.1 आईपीसी की धारा 326 ए में "एसिड के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने" का शीर्षक है, जबकि आईपीसी की धारा 326 बी गंभीर चोट की प्रकृति के बारे में शीर्षक में ऐसा कोई संकेत नहीं देती है। लेकिन, दोनों धाराओं में आठ प्रकार की चोटें - (i) स्थायी क्षति, (ii) आंशिक क्षति, (iii) विकृति, (iv) जलन, (v) अपंगता, (vi) विकृति, (vii) विकलांगता या (viii) गंभीर चोट। खंडों में संदर्भित चोटों में से पहले सात को एसिड हमले के सामान्य प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जबकि आठवां प्रभाव की गंभीरता पर है। धारा 326 ए और 326 बी के तहत, गंभीर चोट आठ चोटों में से केवल एक है। धारा 326 बी के तहत स्पष्टीकरण के मद्देनजर, 326 ए या 326 बी के तहत परिणामी क्षति या विकृति को अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सात चोटें या तो साधारण या गंभीर हो सकती हैं। चोट की प्रकृति सरल या गंभीर होने के कारण, आईपीसी की धारा 323, धारा 326 और धारा 326 ए और धारा 326 बी के बीच अंतर करने के लिए अप्रासंगिक है। यदि धारा 326 ए या 326 बी के तहत संदर्भित चोट निर्दिष्ट आठ चोटों में से एक है, चाहे उनमें से सात साधारण या गंभीर हों, विशेष प्रावधान आकर्षित होते हैं। [पैरा 6, 7] [890-ई-एच; 891-ए]1.2. आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के बीच मूल अंतर धारा 326 ए के तहत वास्तविक चोट की उपस्थिति है। परिणामी चोट ने दस साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा के साथ अपराध को और अधिक गंभीर बना दिया है जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और प्रत्येक मामले में , जुर्माना के साथ। जुर्माना अनिवार्य है और यह राशि इस अर्थ में उचित और उचित होनी चाहिए कि यह किसी भी मामले में पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसलिए, धारा 326 ए के तहत दूसरे परंतुक में यह आवश्यक है कि लगाए गए जुर्माने का भुगतान वादी को किया जाना चाहिए। धारा 326 बी के तहत, धारा में उल्लिखित किसी भी चोट को पहुंचाने के इरादे से किसी अन्य साधन को फेंकने या फेंकने का प्रयास करने या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करने के कार्य को पांच साल के अनिवार्य न्यूनतम

कारावास के साथ देखा जाना है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए का शीर्षक तेजाब के उपयोग से गंभीर चोट के बारे में बात करता है, धारा के अंतर्गत यह अपेक्षा नहीं है कि लगी चोटें हमेशा गंभीर होनी चाहिए। यहां तक कि अगर सात चोटें साधारण हैं, तो धारा 326 ए, और धारा 326 बी के तहत केवल फेंकने या प्रयास करने का कार्य, जैसा कि धारा में दर्शाया गया है, अपराध को आकर्षित करेगा। [पैरा 8, 9] [891-B-D] मकबूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

1.3. प्रावधान के शीर्षक को अनिवार्य रूप से प्रावधान की सामग्री को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रावधान अन्यथा स्पष्ट और स्पष्ट है, तो शीर्षक असंदिग्ध हो जाता है। इसके विपरीत, यदि प्रावधान की सामग्री अन्यथा अस्पष्ट है, तो प्रावधान को परिभाषित करने के लिए शीर्षक से सहायता मांगी जा सकती है। प्रावधान में सादे अभिव्यक्तियों और संकेतित शीर्षक के बीच संघर्ष की स्थिति में, शीर्षक प्रावधान की सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकता है। शीर्षक प्रावधान के तहत निपटाए गए विषय की प्रकृति का केवल एक व्यापक और सामान्य संकेत है। [पैरा 10] [891-ई-एफ]

1.4 यह चोट का प्रतिशत या गंभीरता नहीं है, जो अंतर बनाता है। चाहे वह साधारण हो या गंभीर, यदि एसिड के उपयोग के कारण चोट धारा 326 ए के तहत निर्दिष्ट प्रकारों के अंतर्गत आती है, तो धारा 326 ए के तहत अपराध आकर्षित होता है। एसिड हमले के प्रयास पर निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर धारा 326 बी लागू की जाएगी। [पैरा 16] [894-ए-बी]

1.5 वर्तमान निर्णय में टिप्पणियां और निष्कर्ष केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से हैं कि क्या आईपीसी की धारा 326 ए के तहत आरोप सही ढंग से तय किए गए हैं और क्या ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 326 ए के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करके त्रुटि की है। मुकदमे के दौरान अन्य सभी पहलुओं पर विचार किया जाना बाकी रहेगा, जो मामले के गुण-दोष पर किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आयोजित किया जाएगा। [पैरा 17] [894-सी-डी]

लड्डू राम बनाम राजस्थान राज्य [आपराधिक विविध याचिका संख्या 681/2017 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2017 को निर्णय पारित किया गया];

एम.सिलुवाई मुरुगन@मुरुगन बनाम राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन मैड 2332- खारिज कर दिया गया।

रायचूरमथम प्रभाकर और एक अन्य बनाम रावतमल डुगर (2004) 4 एससीसी 766: [2004] 3 एससीआर 1130;

भारत संघ (यूओआई) और एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड अन्य (2013) 10 एससीसी 772: [2013] 9 एससीआर 1023- पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एस.सी.आर.

Case_Law संदर्भ

[2004] 3 एससीआर 1130 पैरा 11

[2013] 9 एससीआर 1023 पर आधारित पैरा 11

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र पर आधारित है: आपराधिक अपील संख्या 1143/2018 के आपराधिक संशोधन संख्या 2231/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2018 आदेश से एल. बी. राय, अस्करी हुसैन, सौरभ सिंघला, कार्तिक राय, कार्तिक राय, शंकर दिवते, अपीलकर्ता के वकील।

न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे. के द्वारा दिया गया था अनुमति दी गई।

1: स्वीकृति दी गयी।

2. एसिड हमले में, यदि चोट साधारण है, तो क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध आकर्षित होता है, इस मामले में विचार के लिए मुख्य प्रश्न है। और यदि चोट केवल साधारण है, तो क्या धारा 326 बी के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं, यह आकस्मिक मुद्दा है।

3. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा धारा 326 ए आपराधिक कानून में संशोधन समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसरण में पेश की गई थी, जिसे जे एस वर्मा समिति रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ऐसी चोटों को कवर करने वाला पूर्व-संशोधित प्रावधान धारा 326 है। उद्धरित:

"326। जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुँचाना।—जो कोई भी, धारा 335 द्वारा उपबंधित मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी उपकरण के माध्यम से, या किसी भी उपकरण के माध्यम से, जिसे अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, गंभीर चोट पहुंचाता है, या आग या किसी भी गर्म पदार्थ के माध्यम से मृत्यु का कारण बन सकता है, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से, या किसी ऐसे पदार्थ के माध्यम से, जिसे सांस लेना, निगलना, या रक्त में पुन: प्रवेश करना, या किसी जानवर के माध्यम से मानव शरीर के लिए हानिकारक है, के साथ पाया जाएगा। [आजीवन कारावास], या किसी भी अवधि के लिए कारावास के साथ जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। मकबूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[कुरियन,जे]

4. "गंभीर चोट" आईपीसी की धारा 320 के तहत परिभाषित किया गया है और आईपीसी की धारा 319 के तहत "चोट" को परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा, "319। चोट जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है, उसे चोट पहुंचाने के लिए कहा जाता है। "320. गंभीर चोट।—निम्नलिखित प्रकार की चोट को केवल "गंभीर" के रूप में नामित किया गया है: - पहला - नपुंसकता। दूसरा - दोनों आंखों की दृष्टि का स्थायी निजीकरण। तीसरा- कान के किसी भी हिस्से की सुनवाई का स्थायी निःशक्तता, चौथा - किसी सदस्य या जोड़ का निःशक्तता। पांचवीं | - किसी भी सदस्य या संयुक्त की शक्तियों का विनाश या स्थायी निःशक्तता। छठी | - सिर या चेहरे का स्थायी विकृति। सातवां- हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या विदुरीकरण। आठवां - कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जो पीड़ित को गंभीर शारीरिक दर्द में 20 दिनों के लिए होने का कारण बनती है, या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होती है। 5. एसिड के उपयोग के कारण होने वाली चोटों या प्रयास किए जाने पर, संशोधन के तहत, आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के तहत अलग या विशेष अपराधों के रूप में अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है: "326 ए। तेजाब आदि के प्रयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना- जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंग को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है या अपंग करता है या विकृत करता है या अक्षम करता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या तेजाब पिलाकर या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके या इस ज्ञान के साथ कि उससे ऐसी चोट या चोट लगने की संभावना है, गंभीर चोट पहुंचाता है। किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना लगाया जा सकता है; बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा; सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एस.सी.आर. में आगे प्रावधान किया गया है कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा। "326 बी। स्वेच्छा से तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना- जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयास करता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या विकृति या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से, किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण I. धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "एसिड" में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षारक चरित्र या जलने की प्रकृति होती है, जो शारीरिक चोट पैदा करने में सक्षम है जिससे निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी विकलांगता होती है।

स्पष्टीकरण 2- धारा 326 ए और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति को अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. धारा 326 ए में "एसिड के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने" का शीर्षक है, जबकि धारा 326 बी में गंभीर चोट की प्रकृति के बारे में शीर्षक में ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन बारीकी से विश्लेषण करने पर, यह देखा जा सकता है कि दोनों वर्गों में आठ प्रकार की चोटों का प्रावधान है - (i) स्थायी क्षति, (ii) आंशिक क्षति, (iii) विकृति, (iv) जलन, (v) अपंगता, (vi) विकृति, (vii) विकलांगता या (viii) गंभीर चोट।

7. खंडों में संदर्भित चोटों में से पहले सात को एसिड हमले के सामान्य प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जबकि आठवां प्रभाव की गंभीरता पर है। धारा 326 ए और 326 बी के तहत, गंभीर चोट आठ चोटों में से केवल एक है। धारा 326 बी के तहत स्पष्टीकरण के मद्देनजर, 326 ए या 326 बी के तहत परिणामी क्षति या विकृति को अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सात चोटें या तो साधारण या गंभीर हो सकती हैं। चोट की प्रकृति सरल या गंभीर है, आईपीसी की धारा 323 और धारा 326 ए या आईपीसी की धारा 326 ए और धारा 326 बी के बीच अंतर करने के लिए अप्रासंगिक है। यदि धारा 326 ए या 326 बी के तहत संदर्भित चोट मकबूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरे में से एक है।निर्दिष्ट आठ चोटें, चाहे उनमें से सात साधारण या गंभीर हों, विशेष प्रावधान आकर्षित होते हैं।

8. आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के बीच मूल अंतर धारा 326 ए के तहत वास्तविक चोट की उपस्थिति है। परिणामी चोट ने दस साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा के साथ अपराध को और अधिक गंभीर बना दिया है जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और किसी भी मामले में, जुर्माना के साथ। जुर्माना अनिवार्य है और यह राशि इस अर्थ में उचित और मुक्तियुक्त होनी चाहिए कि यह किसी भी मामले में पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसलिए, धारा 326 ए के तहत दूसरे परंतुक में यह आवश्यक है कि लगाए गए जुर्माने का भुगतान वादी को किया जाना चाहिए। धारा 326 बी के तहत, धारा में उल्लिखित किसी भी चोट को पहुंचाने के इरादे से किसी अन्य साधन को फेंकने या फेंकने का प्रयास करने या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करने के कार्य को पांच साल के अनिवार्य न्यूनतम कारावास के साथ देखा जाना है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

9. इस प्रकार, केवल इसलिए कि आईपीसी की धारा 326 ए का शीर्षक एसिड के उपयोग से गंभीर चोट के बारे में बात करता है, धारा के तहत यह आवश्यकता नहीं है कि चोट हमेशा गंभीर होनी चाहिए। यहां तक कि अगर सात चोटें साधारण हैं, तो धारा 326 ए, और धारा 326 बी के तहत केवल फेंकने या प्रयास करने का कार्य, जैसा कि धारा में दर्शाया गया है, अपराध को आकर्षित करेगा।

10. प्रावधान के शीर्षक को अनिवार्य रूप से प्रावधान की अन्तर्वस्त्र को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रावधान अन्यथा स्पष्ट और स्पष्ट है, तो शीर्षक अप्रासंगिक हो जाता है। इसके विपरीत, यदि प्रावधान की सामग्री अन्यथा अस्पष्ट है, तो प्रावधान को परिभाषित करने के लिए शीर्षक से सहायता मांगी जा सकती है। प्रावधान में सादे अभिव्यक्तियों और संकेतित शीर्षक के बीच संघर्ष की स्थिति में, शीर्षक प्रावधान की सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकता है। शीर्षक प्रावधान के तहत निपटाए गए विषय की प्रकृति का केवल एक व्यापक और सामान्य संकेत है।

11. हम इस संबंध में दो उदाहरणों से लाभान्वित हुए हैं - (i) रायचूरमथम प्रभाकर और एक अन्य v. रावतमल डुगर और (ii) भारत संघ (UOT) और एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य।

12. रायचूरमथम प्रभाकर (सुप्रा) मामले में, न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा -14 में इसे निम्नानुसार माना गया था:

'(2004) 4 एससीसी 766

2013) 10 एससीसी 772

सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एससीआर।

"14, यह दृष्टिकोण अब तय हो गया है कि वर्गों या वर्गों के समूह के लिए पूर्व-निर्धारित शीर्षकों या शीर्षकों को विधायिका के अधिनियम के निर्माण में संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन इस सवाल पर परस्पर विरोधी राय व्यक्त की गई है कि शीर्षकों या शीर्षकों के साथ क्या महत्व जोड़ा जाना चाहिए। एक मत के अनुसार, शीर्षकों को उनके बाद के प्रावधानों की प्रस्तावना के रूप में माना जा सकता है ताकि उन्हें इसके तहत व्यवस्थित खंडों के ड्राफ्ट्समैन के दिमाग को खोलने की कुंजी देने के रूप में माना जा सके। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, शीर्षक का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब लागू करने वाले शब्द अस्पष्ट हों। वे सादे शब्दों के अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन वे अस्पष्टताओं की व्याख्या कर सकते हैं। (देखें: न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9"एड, 2004, पीपी.152,155)। हमारी राय में, किसी अनुभाग के शीर्षक या शीर्षक को संयुक्त के निर्माण में सीमित भूमिका निभाने की अनुमति है। उन्हें इसके तहत निपटाए गए विषय-वस्तु की प्रकृति के बहुत व्यापक और सामान्य संकेतक के रूप में लिया जा सकता है। शीर्षक या शीर्षक को एक संघनित नाम के रूप में भी लिया जा सकता है जो सामूहिक रूप से नीचे दिए गए अधिनियमन द्वारा निपटाए गए विषय-वस्तु की विशेषताओं को इंगित करने के लिए सौंपा गया है; हालांकि नाम हमेशा संक्षिप्त होगा, जिसकी अपनी सीमाएं होंगी। प्रावधान की सरल भाषा और शीर्षक या शीर्षक के अर्थ के बीच संघर्ष के मामले में, शीर्षक या शीर्षक उस अर्थ को नियंत्रित नहीं करेगा जो उसके तहत प्रावधान की भाषा से स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से समझ में आता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (सुप्रा) में: "44, यह स्थापित कानून है कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय सादे अर्थ को प्रभावी किया जाना चाहिए और यदि उसमें भाषा सरल और स्पष्ट है, तो उससे परे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, यदि संबंधित अनुभाग की भाषा एक सरल अर्थ और संदेश देती है, तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए और उन अनुच्छेदों के शीर्षकों को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इस पहलू को प्रकाश नाथ खन्ना और अन्य में स्पष्ट किया गया है। v. आयकर आयुक्त और वरिष्ठ (2004) 9 एससीसी 686। उक्त निर्णय का पैरा 13 प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है: "13। यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालत एक वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती है जो सादा है और मकबूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[कुरियन,जे]

असंदिग्ध। एक क़ानून विधायिका का एक आदेश है। एक क़ानून में नियोजित भाषा विधायी इरादे का निवारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। "विधियों को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं, माना जाना चाहिए", न्यायाधीश विद्वान हाथ ने कहा, "लेकिन शब्दों को उन उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ माना जाना चाहिए जो उनके पीछे निहित हैं"।(देखें लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसैवेज.) इस विचार को भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में दोहराया गया था।

वेदेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा और पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य।

14. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 326 ए के तहत इस आधार पर आरोपमुक्त करने की मांग की कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोट साधारण थी। निचली अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि भले ही अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को सही माना जाता है, लेकिन पीड़ित को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है क्योंकि चोटें साधारण बताई गई हैं, और इसलिए, उस पर धारा 326 ए के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दो फैसलों पर रखने विश्वास की मांग की गई है, एक लड्डू राम मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का। राजस्थान राज्य ने 06.02.2017 को 2017 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 681 में और मद्रास उच्च न्यायालय के दूसरे मामले में एम. सिलुवाई मुरुगन @ मुरुगन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णय लिया। राज्य ने 30.07.2018 को 2016 की आपराधिक अपील संख्या 861 (2018 एससीसी ऑनलाइन मैड 2332) में फैसला सुनाया।

15. लड्डू राम (सुप्रा) मामले में, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि चोट प्रकृति में साधारण है, आईपीसी की धारा 326 ए आकर्षित नहीं होती है, लेकिन आईपीसी की केवल धारा 326 बी लागू होगी।

इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने एम. सिलुवाई मुरुगन @ मुरुगन (सुप्रा) में कहा कि यदि एसिड के उपयोग से लगी चोट प्रकृति में साधारण है, तो आईपीसी की धारा 326 ए के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। एम. सिलुवाई मुरुगन @ मुरुगन (सुप्रा) मामले में, हालांकि उच्च न्यायालय ने कानूनी स्थिति का सही विश्लेषण किया है, लेकिन दुर्भाग्य से चोट की प्रकृति को सरल मानते हुए और आईपीसी की धारा 326 बी में दोषसिद्धि को इस आधार पर बदलकर एक स्पष्ट त्रुटि की है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोट बारह प्रतिशत पर रासायनिक चोट के रूप में साधारण थी। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एस.सी.आर.

16. जैसा कि हमने पहले ही ऊपर चर्चा की है, यह चोट का प्रतिशत या गम्भीरता नहीं है, जो अंतर बनाता है। चाहे वह साधारण हो या गंभीर, यदि एसिड के उपयोग के कारण चोट धारा 326 ए के तहत निर्दिष्ट प्रकारों के अंतर्गत आती है, तो धारा 326 ए के तहत अपराध आकर्षित होता है। एसिड हमले के प्रयास पर निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर धारा 326 बी लागू की जाएगी। इसलिए, लड्डू राम (सुप्रा) में राजस्थान उच्च न्यायालय और एम. सिलुवाई मुरुगन @ मुरुगन (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय दोनों कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करते हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

17. इसलिए अपील खारिज की जाती है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस फैसले में टिप्पणियां और निष्कर्ष केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से हैं कि क्या आईपीसी की धारा 326 ए के तहत आरोप सही ढंग से तय किए गए हैं और क्या ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 326 ए के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करके गलती की है। मुकदमे के दौरान अन्य सभी पहलुओं पर विचार किया जाना बाकी रहेगा, जो मामले के गुण-दोष पर किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आयोजित किया जाएगा। दिव्या पांडे की अपील खारिज।

Digitally signed by Shweta Tiwari
Date: 2023.10.31 10:13:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court